



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 11 राँची, मंगलवार,

2 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2023

संख्या-04/मुकदमा-04-03/2020 का० 6436--श्री परमेश्वर मुण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-57/20), सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर के संबंध में दिनांक 14.02.2019, 13.03.2019 एवं 22.04.2019 को सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में मूल कोटि से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री परमेश्वर मुण्डा के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा निम्नवत है :-

“गोपनीय चारित्री नहीं रहने के कारण प्रोन्नति के अयोग्य।”

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 7341 दिनांक 14.08.2015 में प्रोन्नति हेतु गोपनीय चारित्री के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है-

.....ऐसी स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कारणवश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में मात्र तीन वर्षों की ही अभ्युक्तियाँ/प्रतिवेदन

उपलब्ध हो तथा गत वर्ष की गोपनीय अभ्युक्तिपरफॉर्मेंस मूल्यांकन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो तो इनका अवलोकन कर इनके आधार पर भी प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जायेगा।”

उल्लेखनीय है कि विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 15.06.2015 को संपन्न बैठक के समय श्री मुण्डा की मात्र 11 माह की गोपनीय चारित्रि उपलब्ध थी। अतः विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति के अयोग्य की अनुशंसा की गई।

3. अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No. 584/2018, कुंवर सिंह पाहन एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। इस वाद में श्री परमेश्वर मुण्डा भी याचिकाकर्ता थे। WP(S) No. 584/2018 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"7. As a cumulative effect of the aforesaid rules, guidelines, judicial pronouncements, I hereby direct the respondent no. 2- Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department, Government of Jharkhand, Ranchi for holding a meeting of fresh Departmental Promotion Committee for consideration of cases of the petitioners for grant of promotion from Basic Grade to Junior Selection Grade. The other grounds for non-consideration as the pendency of CBI Investigation, is not at all tenable and not acceptable by this Court on the ground that the other similarly situated persons have already been considered and they have been granted promotion and as such, this ground is not available to the respondents. The respondents are further directed to hold meeting of fresh Departmental Promotion Committee for consideration of their cases, preferably within a period of three months from today. If petitioners are found fit for promotion, the same shall be considered and granted to them from the date the juniors have been granted promotion, with all consequential benefits.

4. WP(S) No. 584/2018 कुंवर सिंह पाहन एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 12.02.19, 13.03.19 एवं 22.04.19 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ श्री परमेश्वर मुण्डा के प्रोन्नति के संबंध में विचार किया गया। विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा श्री मुण्डा के संबंध में निम्नांकित अनुशंसा की गई :-

“उनके कनीय को प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के योग्य”

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति का वास्तविक वित्तिय लाभ प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने के तिथि से देय होगा।

5. विभागीय प्रोन्नति समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 4042 दिनांक 27.05.2019 द्वारा श्री परमेश्वर मुण्डा, झां०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-रामगढ़) को उनके कनीय को प्रदान की गयी प्रोन्नति की तिथि 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-9300-34800, ग्रेड पे-5400/-पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स-लेवल-09) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 15600-39100, ग्रेड पे- 6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स लेवल-11) में तदर्थ प्रोन्नति प्रदान की गयी है एवं उक्त अधिसूचना के क्रमांक-2 पर अंकित किया गया है कि-उक्त नव-प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरान्त पदभार ग्रहण की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा देय होगी।

6. उक्त अधिसूचना के विरुद्ध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में WP(S) No-458/2020 (परमेश्वर मुण्डा एवं अन्य) वाद दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है-

"In view of the above facts, the writ petition succeeds and accordingly, Allowed. The respondents are directed to release consequential benefits to the petitioner with effect from notional promotion granted to the petitioner."

7. उल्लेखनीय है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में LPA No. 124/2021 दायर किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त LPA No. 124/2021 में दिनांक 31.03.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"5. Thus, on the basis of such Rule, the Supreme Court has held that as there is specific Rule that persons given promotion from an earlier date than his actual assuming of charge is not entitled to financial benefit. Further there is no Rule in the Jharkhand Service Code and the aforesaid judgment cannot be relied to set aside that portion of the impugned order passed by learned Single Judge, whereby consequential benefits have been granted to the respondent-petitioner. Moreover, a person is not granted the back wages or salary when he is not inclined to discharge the duty. It is not the case of the State-appellants that the respondent-petitioner was not willing to work for the period. It is for the laches on the part of the authorities, his case for promotion was not granted and only on intervention of the Court, his promotion has been given from the date from which his juniors were promoted.

6. In that view of the matter, we find no merit in this Letters Patent Appeal. This Letters Patent Appeal is, accordingly, dismissed. There shall be no order as to costs. Urgent certified copy of this order shall be issued as per the Rules."

8. अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 19.10.2020 के अनुपालन हेतु श्री परमेश्वर मुण्डा झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-57/20), सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर को अधिसूचना संख्या 4042 दिनांक 27.05.2019 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पद पर दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रदत्त वैचारिक प्रोन्नति का वित्तीय लाभ की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

- (क) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प सं०-2074/वि(2), दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से सम्बन्धित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करने की स्वीकृति ।
- (ख) श्री परमेश्वर मुण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-57/20), सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर को विभागीय अधिसूचना संख्या 4042 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-9300-34800, ग्रेड पे-5400/- पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स-लेवल-09) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100, ग्रेड पे- 6600/-, पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स लेवल-11) में प्रदत्त प्रोन्नति का वित्तीय लाभ की स्वीकृति ।
- (ग) उक्त के आलोक में निर्गत अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका WP(S) No. 3792/2016 तथा WP(PIL) No. 3594/2011 (बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ) के क्रम में CBI, AHD, राँची केस नं० RC 05 (A)/2012-AHD-R दर्ज वाद के फलाफल से प्रभावित होगी ।

9. उपर्युक्त कंडिका-8 पर विभागीय संलेख संख्या 5972 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.11.2023 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या 15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।
